



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022026-270377  
CG-DL-E-20022026-270377

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 869]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2026/माघ 30, 1947

No. 869]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2026/MAGHA 30, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2026

का.आ. 911(अ).— भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में उरण – उसर पाइप लाइन, प्रोपेन के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसके नीचे उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग का अधिकार का अर्जित किया जाना चाहिए।

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख के, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने, उसमें

उपयोग के अधिकार के उप जिलाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड, गेल भवन, प्लॉट नं. 73, सैक्टर 15 सी।बी।डी। बेलपुर नवीमुंबई 400614 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

उरण - उसर प्रोपेन पाईप लाईन							
अनुसूची							
राज्य : महाराष्ट्र							
जिला	तहसील	गाँव	थानानं.	सर्वे/दाग नं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर	आर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6		
रायगड	पनवेल	साई		276/1	00	05	25
				257/6	00	00	50
				कूल	00	05	75

[फा. सं. एल -14014/227/2021-जी.पी.-II (ई-41028)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2026

**S.O. 911(E).**— Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of Liquid Propane through **Uran - Usar Propane Pipe line**, in the State of Maharashtra, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued, under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of Right of User therein for laying of the pipeline under the land to Dy. Collector & Competent Authority, GAIL (India) Limited. GAIL Bhawan, Plot No. 73, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai 400614 .

URAN - USAR PROPANE PIPELINE							
SHEDULE							
State : Maharashtra							
District	Tehsil	Village	Thana No.	Survey No.	Area		
					Hect.	Are	Sq. Mtr
1	2	3	4	5	6		
RAIGAD	PANVEL	SAI	-	276/1	00	05	25
				257/6	00	00	50
				Total	00	05	75

[F. No. L-14014/227/2021-GP-II (E-41028)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.